

मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सेनी

उन्वय मनीराम बनाम राजाबान साका अर्जी

नाम इरानी
सूचना नम्बर :- 126/2021
निर्णय दिनांक :- 29.11.2021

वादी की ओर से स्वयं को व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.11.2021 को श्री राहुल सेनी
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चूरु के उच्च अतिरिक्त निकाय के
लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि - बाव वाली स्वीका

विद्या जाकर रोधी ग्राम चल्कोई वीकान के राजार टिकारि
अमावसी छतानर 151 पर दर्ज पदमदाए पुत्र के सुनदास के
स्थान पर मनीराम पुत्र वचनदास दर्ज करने के आदेश दिने प्रालेहा
सहशीलदार पूरु उम्तानुसा राजार टिकारि में अमलदाद की।
नाम इरानी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होना नहीं चाहिए।
जिसे वादी की ओर से देखा करेगी।

यह आज तारीख 29.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय को मुद्रा लगाकर
पेश है।

29/11/21
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. अर्जी के लिए स्टाम्प		प्लेडर की फीस	
4. ... खर्चे पर प्लेडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



संख्या. 726
29-11-21